

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को [मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना](#) के तहत आवेदनों पर तेज़ी से कार्रवाई करने और सरकारी ज़मीन पर बनी दुकानों एवं घरों को 20 वर्ष के लिये स्वामित्व अधिकार देने का निर्देश दिया।

- यह वभागों, बोरडों, नगर नगिमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के स्वामित्व वाली भूमि पर लागू होता है।

मुख्य बडु:

- राज्य नोडल अधिकारी (SNO) को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सचिवाई और जल संसाधन वभाग, मुद्रण एवं स्टेशनरी वभाग, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा राजस्व व आपदा वभाग द्वारा नामति कथिा गया है।
- यह बताया गया है कि स्वामित्व अधिकार के लिये अब तक 99 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं, जबकि 901 लंबति हैं। **प्रत्येक वभाग को 15 दनि के भीतर लंबति आवेदनों पर नरिणय लेना होगा।**
 - यदि इस अवधि में नरिणय नहीं हुआ तो जसि वकिरी ज़मीन है, उस वभाग के ज़िला स्तरीय अधिकारी का नरिणय मान्य होगा।
 - शहरी स्थानीय निकाय वभाग इस संबंध में सभी संबंधित वभागों के साथ नयिमति बैठकें करेगा और इसकी रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को भेजेगा।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना

- इसे राज्य में 20 वर्षों से अधिक समय से करिए या पट्टे पर चल रही नगर पालिकाओं की वाणजियकि भूमिका स्वामित्व देने के लिये डज़ाइन कथिा गया है।
- इस योजना के तहत, जो व्यक्त करिए या पट्टे के माध्यम से 20 वर्षों से भूमि पर कब्ज़ा कर रहे हैं, उन्हें कलेक्टर दर के 80% तक भुगतान पर स्वामित्व अधिकार दिया जा रहा है।
- इसी तरह ज़मीन पर कब्ज़े के वर्षों की सीमा के अनुसार अलग-अलग दरों पर कलेक्टर रेट देना होगा, जैसे 25 वर्ष के लिये कलेक्टर रेट का 75%, 30 वर्ष के लिये 70%, 35 वर्ष के लिये 65%, 40 वर्षों के लिये 60%, 45 वर्षों के लिये 55%। 50 वर्षों के लिये **50% भुगतान पर स्वामित्व अधिकार देने का प्रावधान है।**